30/11 बाअदामरी

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व ... अहकाम ... हुक्म की ... में जारी ...
26/12/22 वकील उभयपक्ष उप./ प्रार्थीगण पूरणमल द्वारा प्रस्तुत बाअदामरी प्रार्थना पत्र मय धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार किए जाते है एवं अपील मियादबाहर होने के कारण खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 15:57:07 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय न्यायालय श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर०ए०एस०, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
30/2011	23.12.2011	26.12.2022

1. सूरजमल पुत्र रामप्रताप जाति कीर निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
2. माया पत्नी प्रभुदयाल, कीर निवासी बडी चौक आलनपुर सवाईमाधोपुर
3. श्रीमती लाड बेवा चिरंजी, कीर निवासी चूली तह० गंगापुर सिटी (मृतक)

3/1.सन्तोष पुत्र चिरंजी, कीर निवासी कीरपाडा, गंगापुर सिटी —प्रार्थीगण

बनाम

1. रामखिलाडी पुत्र मिश्रया, माली निवासी छाहरा तहसील गंगापुर सिटी
2. रामफूल पुत्र मिश्रया, माली निवासी छाहरा तहसील गंगापुर सिटी
3. ग्राम पंचायत चूली जरिए सरपंच ग्राम पंचायत चूली
4. प्रेम पत्नी मूलचन्द पुत्री चिरंजी, कीर नि० बडी चौक आलनपुर सवाईमाधोपुर

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सी०पी०सी०

उपस्थित :— श्री लालाराम सैनी, एडवोकेट , प्रार्थीगण की ओर से

श्री महेशचन्द अग्रवाल, एडवोकेट, अप्रार्थी नं० 1, 2 की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी वाजदायरी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सी०पी०सी० प्रार्थीगण सूरजमल वगैरा की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वर्णित पक्षकारों के मध्य एक अपील माननीय न्यायालय में उनवानी सूरजमल वगैरा बनाम कजोडमल वगैरा मु०नं० 14/07 विचाराधीन थी जो दिनांक 24.7.09 को न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की गैरहाजरी में अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दी गई। उपरोक्त उनवानी अपील में पैरवी प्रार्थी सूरजमल का भाई चिरंजीलाल करता रहा है। चिरंजीलाल दिनांक 10.4.09 को मर चुका है। उसके बाद प्रकरण की पैरवी प्रार्थी नम्बर 1 करता चला आ रहा है। प्रार्थी सूरजमल वृद्ध व्यक्ति है, सामान्यतया अस्वस्थ रहता है व अन्य प्रार्थीगण महिलाऐं हैं जो कानूनी प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ हैं। उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थीगण को यह निर्देश दे रखे थे कि प्रकरण में उनकी प्रत्येक पेशी पर हाजरी आवश्यक नहीं है एवं जब आवश्यकता होगी तब सूचना कर दी जावेगी। इस कारण प्रार्थीगण निश्चिंत थे। जब काफी समय व्यतीत हो गया एवं अधिवक्ता से सूचना नहीं मिली तो प्रार्थीगण अपने अधिवक्ता से मिले तब उन्होने बताया कि आप दिनांक 24.4.09 को उपस्थित नहीं हुए तथा प्रार्थीगण के अधिवक्ता अन्य न्यायालयों में न्यायिक कार्यवाहियो में व्यस्त रहने के कारण उक्त दिनांक को माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके इसलिए प्रकरण अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:57:07 IST
Reason: SelfAttested

अपील की पत्रावली रेकार्ड में जमा हो जाने के कारण अब नकलें मिलने पर प्रार्थीगण को जानकारी हुई है जो प्रार्थीगण की अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त उनवानी अपील पुनः नम्बर पर ली जाकर प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थीगण ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए अतः अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

अपील की मूल पत्रावली जिला अभिलेखागार सवाईमाधोपुर से मंगवाई गई जो इस पत्रावली के साथ संलग्न है।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत किया। जबाब में अप्रार्थीगण ने अंकित किया है कि अपील उनवानी सूरजमल वगैरा बनाम कजोडमल वगैरा मु0नं0 14/2007 दिनांक 24.7.2009 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो चुकी है जो प्रार्थीगण–अपीलांट ने जानबूझकर खारिज करवाई क्योंकि उन्होने मृत व्यक्ति के विरूद्ध अपीलपेश की थी जो कि अपील की पत्रावली में उपरोक्त सम्मन पर तामील कुनिन्दा द्वारा दर्ज किया हुआ है कि कजोडमल पुत्र कल्ला 20 वर्ष पहले मर गया है। इस प्रकार अपील जानबूझकर खारिज कराई है और यह वाजदायरी प्रार्थना पत्र भी मियाद बाहर पेश किया गया है। अपील मीमो में अप्रार्थी नं0 1 रामखिलाडी पक्षकार मुकदमा नहीं है, ताहम भी उसको गलत रूप से प्रार्थना पत्र वाजदायरी में पक्षकार बनाया है जो कानून की मंशा के विपरीत है। इस प्रकार मिसजोइन्डर आफ पार्टी का नुक्स अराइज होने के कारण प्रार्थना पत्र संचलित योग्य नहीं हैं । प्रार्थीगण का कोई इन्ट्रेस्ट भूमि मुतदाविया में नहीं है न रहा है। चूंकि अप्रार्थीगण भूमि के काबिज काश्तकार खातेदार टीनेन्ट हैं और खातेदारी आज भी रामफूल के नाम दर्ज है, रामफूल का कब्जा है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है जो पत्रावली में संलग्न है।

प्रार्थना पत्र वाजदायरी के समर्थन में प्रार्थीगण ने नकल आर्डरशीट दिनांक 24.7.09 मु0नं0 14/2007 उनवानी मुकदमा सूरजमल वगैरा बनाम कजोडमल वगैरा, न्यायालय उप जिलाकलेक्टर गंगापुर सिटी प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:57:07 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर
(स०मा०)

जबाब के समर्थन में अप्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2062 से 2065, अपील उनवानी सूरजमल वगैरा बनाम कजोडमल वगैरा में रामफूल माली द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र दिनांक 20.10.08 की प्रमाणित प्रतिलिपि, अपील की प्रमाणित प्रतिलिपि, कजोडमल पुत्र कल्ला माली को दिनांक 30.8.07 की पेशी के लिए जारी नोटिस की प्रमाणित प्रतिलिपि, कजोडया माली के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोकोपी प्रस्तुत किए हैं।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने वाजदायरी प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पुनः नम्बर पर लेकर प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर देने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी संख्या 1, 2 के विद्वान वकील ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण ने यह वाजदायरी प्रार्थना पत्र मियाद बाहर प्रस्तुत किया है। जहां तक अपीलार्थीगण की मूल अपील अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज होने का प्रश्न है, वास्तव में प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण ने अपील जानबूझकर खारिज करवाई थी क्योंकि इन्होने अपील दिनांक 30.7.07 को प्रस्तुत की थी जबकि रेस्पोन्डेन्ट कजोडमल की मृत्यु दिनांक 14.9.1983 को ही हो चुकी थी। प्रार्थीगण/ अपीलार्थीगण ने मृत व्यक्ति के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की थी। इस सम्बन्ध में दिनांक 20.10.08 को रेस्पो0/अप्रार्थी रामफूल ने अपील पत्रावली में प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया था उसके बाद ही प्रार्थीगण ने अपील अदम हाजरी में खारिज करवा ली। अतः प्रार्थीगण का यह वाजदायरी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल अपील संख्या 14/2007 उनवानी सूरजमल वगैरा बनाम कजोडगल वगैरा दिनांक 24.7.2009 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हुई है। इस अपील को पुनः नम्बर पर लेने हेतु प्रार्थीगण ने यह वाजदायरी प्रार्थना पत्र दिनांक 23.12.2011 को प्रस्तुत किया है जो को 881 दिवस की देरी से प्रस्तुत किया है। इतने दिनों की देरी का कोई संतोषप्रद कारण प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज नहीं किया है। प्रार्थीगण के मात्र यह कह देना कि उनके अधिवक्ता [illegible] प्रत्येक पेशी पर प्रार्थीगण को उपस्थित होने की जरूरत नहीं है, [illegible] पर्याप्त कारण नहीं है। ऐसी स्थिति में इतनी अवधि का विलम्ब कण्डोन किया जाना न्यायोचित नहीं है फलस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह वाजदायरी प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने के कारण स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:57:07 IST
Reason: SelfAttested

लेक्टर
(का0)

सूरजमल वगैरा बनाम रामखिलाडी वगैरा, प्रा0पत्र वाजदायरी

(4)

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण सूरजमल वगैरा द्वारा प्रस्तुत यह वाजदायरी प्रार्थना पत्र एवं इस वाजदायरी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किए जाते हैं एवं प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:57:07 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय न्यायालय श्री अनिल कुमार चौधरी, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

ुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
0/2011	23.12.2011	23.12.2021
ूरजमल वगैरा	बनाम	रामखिलाडी वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 व 14 सी0पी0सी0

उपस्थित :– श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से

श्री महेश चंद अग्रवाल, एडवोकेट, अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी मुकदमे मे दिनांक 4.10.2021 को प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 व 14 सी.पी.सी. इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण मे अप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाब मे यह कथन किया गया है कि उक्त विवादित भूमि उनके द्वारा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदी गई है। उक्त खरीद का दस्तावेज अप्रार्थी के पावर पजेशन मे है, जिसे प्रकरण के न्याय पूर्ण निस्तारण हेतु तलब किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण से उक्त भूमि का असल दस्तावेज न्यायालय मे तलब फरमाया जावें।

इस प्रार्थना पत्र के जबाब मे अप्रार्थीगण ने अंकित किया है कि माननीय न्यायालय मे कार्यवाही आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. के तहत चल रही है जो बाजदायरी प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील माननीय न्यायालय मे दिनांक 24.7.2009 को अदम हाजरी व अदम पैरवी मे खारिज हो चुकी है। जबाबदारान भूमि मुतदाविया के काबिज काश्तकार खातेदार टीनेन्ट है और उन्होने अपने जबाब मे तथाकथित दस्तावेज का कही भी उल्लेख नही किया है तथाकथित प्रार्थना पत्र बाजदायरी मे पेश नही हो सकती है। लेजिस्लेचर ने दावा शब्द का ही प्रयोग किया है। प्रार्थना पत्र कानूनन बार है। चलने योग्य नही है। अतःप्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:57:07 IST
Reason: Self Attested

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थीगण जिस दस्तावेज को तलब करवाना चाहते है वह प्रकरण के निर्णय मे सहायक दस्तावेज है। अतः अप्रार्थीगण से दस्तावेज तलब करने के आदेश प्रदान किये जावें।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा कि प्रस्तुत प्रकरण बाजदायरी का है अर्थात प्रार्थीगण का मूल प्रकरण पूर्व मे ही खारिज हो

चुका है। बाजदायरी के प्रकरण मे आदेश 11 नियम 12 व 14 सी.पी.सी. के प्रावधान लागू नही होते है। इसलिए इनका प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. का है अर्थात प्रार्थीगण ने उनकी मूल अपील जो दिनांक 24.7.2009 को अदम हाजरी व अदम पैरवी मे खारिज हो गयी थी को पुनः नम्बर पर लेने हेतु यह प्रकरण प्रस्तुत किया है।इस प्रकरण में किसी दस्तावेज को मंगाने का प्रावधान नियमों मे नही है। मूल प्रकरण मे ही इस बिन्दू पर विचार किया जा सकता है। प्रार्थीगण द्वारा नियमों से परे जाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण की ओर से दि0 4.10.2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 व 14 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:57:07 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30-1-09 वकील वादीगण उप० प्रतिवादी [illegible] जवाब हेतु दि० 13-3-09 को पेश हो। [signature]	
13/3/09 वकील वादीगण उप० जवाब पेश नहीं किया। अंतिम अवसर दिया जाता है। प्रतिवादी [illegible] जवाब हेतु दि० 29/4/09 को पेश हो। [signature]	
29-4-09 वकील वादीगण उप० प्रतिवादी [illegible] जवाब हेतु दि० 3-6-09 को पेश हो। [signature]	
3-6-09 वकील वादीगण उप० [illegible] जवाब हेतु दि० 15.7.09 को पेश हो। [signature]	
15/7/09 वकील वादीगण उप० जवाब पेश नहीं किया। [illegible] पर [illegible] किया जाकर प्रतिवादी [illegible] 151 CPC दि० 24/7/09 को पेश हो। [signature]	
24/7/09 वकील प्रतिवादी पेश हो। [illegible] व उनके वकील उपस्थित नहीं। वकील [illegible] नं. 2 व 3 उपस्थित। [illegible] किन्तु [illegible] व उनके वकील [illegible] हाजरी व [illegible] प्रतिवादी [illegible] होकर [illegible] अभिलेखागार [illegible] [signature] उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:57:07 IST
Reason: SelfAttested